सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/82 दर्ज तिथिः— 15.09.2025

1. मनोज गढ़वाल पुत्र मोहनलाल गढ़वाल जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी नई सड़क चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. जीवण खां पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
2. ताज चानो पत्नी अलादीन जाति कायमखानी निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
3. मजीद अली पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
4. रमजान अली पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
5. मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू (राज.)

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थीः— श्री सुरेन्द्र राहड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अदालतवाला में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी को पूर्ण आशा है।

मनोज आदि बनाम जीवणखां आदि
2025/82
निर्णय दिनांकः–20.04.2026

2. कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441 तादादी 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/1212 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2773/2442 तादादी 0.4173, खसरा नम्बर 2775/2544 तादादी 0. 4012 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 2.0579 टैक्टेयर बाके रोही करवा चूरू तहसील व जिला चूरू प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. । ता 5 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।
3. कृषि भूमि में प्रार्थी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 4931/20579 हिस्सा अर्थात् 0.4931 हैक्टेयर की है जिसे प्रार्थी के हिस्से By meats & Bounds के आधार पर कब्जे काश्त का लाभ देते हुए कृषि भूमि का विभाजन अलग किया जावे। इसलिए अदालत मातहत में यह दावा पेश किया जा रहा है।
4. वादगत कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या । ता 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। यह कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 5 के अविभक्त रूप से संयुक्त काश्त में चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।
5. अब प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या । ता 5 की संयुक्त कृषि भूमि है तथा किसी भी प्रकार से मौखिक रूप से विभाजन नहीं किया हुआ है। उक्त कृषि भूमि अपने अलग–अलग हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं और वादगत कृषि भूमि शामलात में रहने से वादग्रस्त कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग पाला आदि को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी के अपने हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा पेश किया गया है।
6. प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 ता 5 को कहा एवम् कहलवाया कि साथ चलकर प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग कायम करवा लें मगर अप्रार्थी सं. 1 ता 5 टाल–मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 09.09.2025 को अप्रार्थी संख्या । ता 5 ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया।
7. उक्त कृषि भूमि बैंक के रहन नहीं होने के कारण बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
8. प्रार्थना पत्र कृषि भूमि विभाजन का है तथा LAND HOLDER होने के कारण प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 6 बनाया गया है मगर राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए धारा ४० जा० दी० के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
9. निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
10. प्रथम दृष्टयान्त मामला सुविधा का सिद्धांत व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 11 को ताफैसला वाद वर्जित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441 तादादी 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/1212 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2773/2442 तादादी 0.4173, खसरा नम्बर 2775/2544 तादादी 0.4012 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल तादादी 2.0579 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी क[illegible] कृषि भूमि में 4931/20579 हिस्सा अर्थात् 0.4931 हैक्टेयर की कृषि भूमि [illegible], ना बेदखल करें ना ही किसी दीगर व्यक्ति द्वारा ऐसा करवाये एवं मौके पर [illegible] से अकृषि कार्य ना किया जावे एवं ना ही कसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जावे व ना ही प्लॉटिंग की जावे जिससे खातेदारों पर किसी प्रकार का विपरीत असर ना पड़े जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

12. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 275 एवं 364, कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर, स्थित रोही ढाढर, तहसील चूरू, राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी पुष्ट होता है, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा पाया गया है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में पारिवारिक मौखिक बंटवारा वर्ष 1987 में हो चुका है, जिसके अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण मात्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि पर अधिकार जताते हैं, जबकि उनका मौके पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वाद लंबित रहते हुए भूमि को विक्रय / हस्तांतरित करने की संभावना है, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से स्थापित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो वाद का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निर्णय तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाए।

13. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुख्य आधार संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन न होना बताया गया है। अप्रार्थीगण प्रारंभ से ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उनका प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन करने का कोई मंतव्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं कि अप्रार्थीगण निर्माण कार्य कर रहे हैं या प्लॉटिंग कर रहे हैं, वे पूर्णतः निराधार और मात्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार आकर्षित करने के लिए कहे गए हैं। अप्रार्थीगण भी मानते हैं कि संयुक्त खातेदारी के कारण काश्तकारी में व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अतः विवाद को लंबा खींचने और न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट करने के बजाय, अप्रार्थीगण इस स्तर पर प्रार्थी का हिस्सा (0.4931 हेक्टेयर) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अलग किए जाने पर अपनी पूर्ण अनापत्ति जाहिर करते हैं। जब प्रतिवादी पक्ष स्वयं विभाजन हेतु सहमत है, तो प्रार्थी को बेदखल करने या क्षति पहुँचाने की आशंका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 212 के तहत निषेधाज्ञा जारी रखने का अब कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 212 को इसी स्तर पर निस्तारित / खारिज फरमाया जाकर, उभय पक्षों की सहमति के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की जावे।

14. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि ग्राम कस्बा चूरू स्थित खसरा नंबरान [illegible] 441, 2771 / 1212, 2773 / 2442 एवं 2775 / 2544, कुल रकबा 2.0579 [illegible] ता 5 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में [illegible] हिस्सा 0.4931 हेक्टेयर है। प्रार्थी को आशंका है कि विभाजन लंबित रहने के दौरान अप्रार्थी[illegible] उसे बेदखल कर सकते हैं या भूमि पर निर्माण / प्लॉटिंग कर सकते हैं, अतः स्थगन आदेश जारी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ उपस्थित हुए। यद्यपि लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, किंतु आज दौरान–ए–बहस अप्रार्थीगण के विद्वान

अधिवक्ता ने एक वैधानिक पक्ष रखा। उन्होंने खुले न्यायालय में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी का विधिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पृथक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और वे स्वयं इस विवाद का स्थायी निस्तारण चाहते हैं।

16. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कसंगत बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थी पक्ष ने प्रार्थी के विभाजन के अधिकार को स्वीकार कर लिया है और अपनी स्पष्ट अनापत्ति जाहिर की है, अतः अब पक्षकारों के मध्य विभाजन के अधिकार को लेकर कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है।

17. जब प्रतिवादी पक्ष स्वयं प्रार्थी का हिस्सा अलग करने हेतु सहमत है, तो प्रार्थी द्वारा व्यक्त की गई बेदखली या क्षति की आशंका समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 212 के तहत निषेधाज्ञा के प्रार्थना—पत्र को लंबित रखने या उस पर अलग से आदेश जारी करने का कोई विधिक औचित्य शेष नहीं रहता है। अतः

आदेश है कि

उभय पक्षों की सहमति एवं अप्रार्थी की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है, क्योंकि अप्रार्थीगण विभाजन हेतु सहमत हैं।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार—I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested